न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/2017 (डूंगरपुर डिकी)

1. श्री लालू पिता हलिया रोत मीणा निवासी हिराता फला वईयोड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्री गलबा पिता लालू रोत मीणा निवासी हिराता फला वईयोड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
3. श्री फतेहलाल पिता लालू रोत मीणा निवासी हिराता फला वईयोड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
4. श्री गटूलाल पिता लालू रोत मीणा निवासी हिराता फला वईयोड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
5. श्री अमृतलाल पिता लालू रोत मीणा निवासी हिराता फला वईयोड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
6. श्री जयन्तिलाल पिता लालू रोत मीणा निवासी हिराता फला वईयोड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री गंभीरलाल पिता नाथू रोत मीणा निवासी हिराता फला वईयोड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्री शिवलाल पिता नाथू रोत मीणा निवासी हिराता फला वईयोड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
3. श्रीमती माणक पति नाथू रोत मीणा निवासी हिराता फला वईयोड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
4. श्रीमती पुष्पा पुत्री नाथू रोत मीणा निवासी हिराता फला वईयोड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
5. श्रीमती सुशिला पुत्री नाथू रोत मीणा निवासी हिराता फला वईयोड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
6. श्रीमती रेखा पुत्री नाथू रोत मीणा निवासी हिराता फला वईयोड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)

7. श्रीमती सरस्वती पुत्री नाथू रोत मीणा निवासी हिराता फला वईयोड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
8. श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार डूंगरपुर (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक
24—2—2014 प्रकरण संख्या 74/2011 वाद

————/————

उपस्थित :—1— श्री सुन्दरलाल परमार अभिभाषक अपीलान्ट्स
2— श्री एस.एस. कटारा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2
3— राजकीय अधिवक्ता

————/————

आदेश **दिनांक 29—08—2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट वादीगण द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा—188, 187/91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध पेश कर ग्राम वईयोड़ा की वाद वर्णित विवादित आराजीयात अपने खाते व कब्जे की होने के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा व दौराने वाद कब्जा कर लेने पर कब्जा दिलवाने व मुआवजा दिलवाने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में निम्नानुसार 4 तनकीयात कायम की :—

1. **वादग्रस्त भूमि मौजा हिराता फला वईयोड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर पटवार हल्का हिराता में खसरा नंबर 525/64, 594/64 वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है ?**
2. **क्या उक्त वाद वर्णित भूमि पर वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के अधिकारी है ?**
3. **वादग्रस्त खसरा नं0 525/64 की पौन बीघा जमीन पर वादीगण का कब्जा नहीं होने से वादीगण उक्त भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है ?**
4. **अनुतोष**

अधिनस्थ न्यायालय में उभयपक्षों द्वारा पेश शुदा साक्ष्य के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24–2–2014 को प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट वादी के पक्ष में अपीलान्ट प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 74/2011 में निर्णय दिनांक 24–2–2014 के विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रकरण संख्या 3/2014 दिनांक 24–4–2014 को प्रस्तुत की। उक्त अपील संख्या 3/2014 इस न्यायालय द्वारा अदम हाजरी, अदम पैरवी में दिनांक 22–1–2016 को खारिज की गई। उक्त अदम हाजरी, अदम पैरवी खारिज के रेस्टोरेशन का आवेदन अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में 3/2016 प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31–7–2017 को बेरून मयाद होने से खारिज किया गया। अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय के रेस्टोरशन आवेदन 3/2016 निर्णय दिनांक 31–7–2017 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी/टी.ए. /6291/2017 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 9–11–2017 से निगरानी स्वीकार कर 500/–रू0 कोस्ट पर अपील संख्या 3/2015 को रेस्टोर किया।

अपील संख्या 3/2015 पुनः इस न्यायालय में अपील संख्या 18/2017 के रूप में दर्ज हुई तथा रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री एस.एस. कटारा ने वकालत पत्र पेश किया तथा शेष रेस्पोन्डेन्ट की औरसे अण्डर टेकिंग दी। दिनांक 23–3–2018 के बाद रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। दिनांक 22–6–2018, 27–7–2018 व बहस दिनांक 24–8–2018 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता भी अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 सरकार की और से राजकीय पैरोकार ने उपस्थित होकर प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से गुणावगुण आधार पर निर्णय करने का निवेदन किया।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही दोहराते हुए अधिनस्थ

न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की!

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अपीलान्ट की बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 में अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा कब्जे बाबत् किये गये खण्डन व उपलब्ध साक्ष्यों का तनकी नंबर 1 में कोई विवेचन नहीं किया तथा तनकी नं0 1 में वांछित कब्जे बाबत् भी कोई फाईण्डिग नहीं है। तनकी संख्या 2 व 3 तनकी संख्या 1 की अनुगामी है। स्थाई निषेधाज्ञा दिये जाना वांछनीय होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–1 के संबंध में कब्जे पर कोई विवेचना व साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया है। अतएव तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय तथा उसके अनुक्रम में जारी स्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय तथ्यात्मक व विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अतएव अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को **प्रतिप्रेषित** कर निर्देशित किया जाता है कि हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रख उभयपक्षों को पुनः सुनकर तनकीवार कब्जे बाबत् फाईण्डिग देते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–10–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29–08–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री लालू पिता भेराजी भील (गमेती) निवासी वारणी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

बनाम

मु. गंगाबाई बेवा खेमा जी भील (गमेती) निवासी वारणी, हाल भारोड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

अपील नं0 **2/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत .... **उपखण्ड अधिकारी** .... **मावली** ... मुकाम मुर्क्खे.............**27**..........माह..............**11**........... **2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**16**..... माह ......**08**.......... सन् **2016** रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री खेमराज डांगी.......... मिनजानिब अपीलान्ट व ....अनुपस्थित .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**16**...... माह ...**08**........ **2016** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।